

पर्यटक आवास गृहों के कक्षों में लकड़ी के फर्नीचर की आपूर्ति

निविदादाता को निम्न शर्तों का पालन करना अनिवार्य है:-

- 1-निविदा के साथ रू0 100.00 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मय हस्ताक्षरयुक्त रू0 1.00 का रेवेन्यू टिकट के साथ संलग्नकरना आवश्यक है
- 2-अपूर्ण, सशर्त एवं संदिग्ध निविदा किसी दशा में मान्य नहीं होगी ।
- 3-निविदा में मात्रायें घटाई एवं बढ़ाई जा सकती हैं जिसमें ठेकेदार का कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 4-अनुबन्ध गठन हेतु बुलाये गये समय तथा अनुबन्ध गठन करने के एक सप्ताह के अन्दर यदि कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है तो निविदा/अनुबन्ध की धरोहर/जमानत धनराशि नियमानुसार जब्त की जायेगी।
- 5-अधोहस्ताक्षरकर्ता को एक या एक से अधिक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- 6-अनुबन्ध गठित करने पर शासनादेश के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी लगाना आवश्यक है।
- 7-निर्माण कार्य की गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है या त्रुटिपूर्ण माप के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान होने के कारण शासन को हानि भी पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में उस हानि की धनराशि की वसूली शासनादेश संख्या 983/23-999-11/96लो.नि.वि. के अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 12 मई, 1999 के अनुच्छेद (2) निहित प्राविधानों अनुसार की जायेगी।
- 8-यदि शासनादेश /उच्च अधिकारियों द्वारा किसी अपरिहार्य कारणवश निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिये जाते हैं तो ठेकेदार को उसी स्थिति में कार्य रोकना पड़ेगा तथा ठेकेदार केवल किये गये कार्य के भुगतान का दावेदार होगा। शेष कार्य हेतु ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- 9- कार्य निगम/निर्माण खण्ड में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कराये जायेंगे।
- 10-निविदा की तिथि को अवकाश होने की दशा में निविदा अगले कार्यदिवस को खोली जायेगी।
- 11- फर्नीचर कार्यस्थल पर कक्षों के अनुसार ही तैयार किया जायेगा निविदा प्रपत्र में क्रम संख्या 04 को एक यूनिट की भाँति तैयार किया जायेगा।
- 12-निविदादाता को जी0एस0टी0, PAN NO. में पंजीकृत होना आवश्यक है। जिसकी छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है
- 13- ठेकेदार द्वारा धरोहर राशि के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि नियमानुसार जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
- 14- पर्यटक आवास गृह के कक्षों में मानक अनुसार सागोन (Teak) की लकड़ी से बने डबल बेड, बेड रेस्ट, साइड टेबल, सेन्टर टेबल, कुर्सी उपलब्ध करायी जानी है।
- 15-पर्यटक आवास गृह के कक्षों में मार्डन लुक अनुसार अल्मारी, ड्रेसिंग, मिरर, लगेज, रैक एक यूनिट की भाँति लगाया जायेगा। तथा L.E.D हेतु आकर्शक वॉल केबिनेट लगायी जायेगी।
- 16-दरों में आपूर्ति एवं फिक्सिंग एवम् ढुलान सम्मिलित होगा।
- 17-पर्यटक आवास गृह में फर्नीचर की फोटो संलग्न है, नमूना हेतु तदनुसार ही सप्लाय ली जायेगी।
- 18-पर्यटक आवास गृह के स्थल में परिवर्तन किया जा सकता है।
- 19-कक्षों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
- 20-फर्नीचर की प्रत्येक मद की दर अंकित की जानी होगी।

mhr.
17-11-21
(AE(x))